

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-105/2016 - ५०११

/पटना, दिनांक- 14.06.17

प्रेषक,

सजय कुमार, गा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में स्वीकृत सीतामढ़ी जिला के बेलसंड प्रखंड के पैकेज संख्या BR-33R-223- हसौर से दरियापुर पथ (लम्बाई-2.672 कि0मी0) का निर्माण तथा अनुरक्षण सहित पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹210.06 लाख (दो करोड़ दस लाख छः हजार रुपये) मात्र है, पर पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में स्वीकृत बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला के बेलसंड प्रखंड में पत्रांक-491 अनु0, दिनांक-27.02.2009 से प्राप्त प्रशासनिक अनुमोदन, पैकेज संख्या BR-33R-223- हसौर से दरियापुर पथ के प्राक्कलन को अद्यतन दर पर पुनरीक्षण किया गया है। यह पुनरीक्षण ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-4168, दिनांक-22.06.09 के आलोक में किया गया है। पुनरीक्षण के पश्चात बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि का व्यय राज्य बजट से किया जाना है। उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत्यादेशों के अनुसार पूर्व में प्रदत्त कुल ₹150.76 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति को उत्क्रमित करते हुए निर्माण तथा अनुरक्षण सहित कुल राशि ₹210.06 लाख (दो करोड़ दस लाख छः हजार रुपये) मात्र की राशि के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

2. इस योजना की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है-

(क) यह सुनिश्चित किया जाये कि पथ में Cross Drainage Structure की पर्याप्त व्यवस्था हो।

(ख) योजना के लिए कार्यपालक अभियंता से विस्तृत कार्य योजना मांगी जाये और उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाये।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्गदर्शिका में निहित प्राक्धानों के अनुरूप हो।

3. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

4. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

वर्ष 2008-09 में स्वीकृति प्राप्त यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका कार्यान्वयन धनमंत्री ग्राग राहुक योजना के दिशा-निर्देश के आलोक में किया जाना है। स्वीकृति के समय इसका शात-प्रतिशत वित्तीय सम्पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाना था। परन्तु वित्तीय वर्ष 2015-16 से परिवर्तित वित्तीय सम्पोषण की व्यवस्था के आधार पर अवशेष राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा 60 : 40 के अनुपात में भारित होगी।

राज्य सरकार के द्वारा 60 : 40 के अनुपात में भारित होगी।

राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण में संकल्प संख्या-4168, दिनांक-22.06.2009 के माध्यम से लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण मूल स्वीकृत राशि के अतिरिक्त लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी राज्य योजना मद 4515 में विभाग को स्वीकृत उद्ध्यय एवं आवंटन से वहन किया जाएगा।

आवंटन से वहन किया जाएगा।

6. पथ निर्माण के लिये मूल स्वीकृत राशि ₹150.76 लाख के विरुद्ध निर्माण कार्य में व्यय नहीं किया गया है। पथ निर्माण कार्य हेतु मूल स्वीकृत राशि ₹150.76 लाख के 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संकल्प संख्या-4168, दिनांक-22.06.2009 के माध्यम से लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण मूल स्वीकृत राशि के अतिरिक्त लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी राज्य योजना मद 4515 में विभाग को स्वीकृत उद्ध्यय एवं आवंटन से वहन किया जाएगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2199/वि0, दिनांक-24.03.2017 के प्रावधानित विन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

8. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित सगयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कार्यान्वयन अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अंतराल पर योजना की नौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेगे।

11. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY 105/2016, दिनांक-15 मई 2017 को संचिका के पृ0-6/टि0 पर प्राप्त है।

12. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- एवं- 4-45/94-301वि (2), दिनांक-31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-53/2007-96 वि0(2), दिनांक 03.01.2008, के प्रावधानों एवं वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-53/2007-96 वि0(2), दिनांक 03.01.2008, के प्रावधानों एवं वित्त नियमावली, खण्ड-1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-53/2007-2199वि0, दिनांक-24.03.2017 एवं ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या-मु0310-4-PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक-22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-105/2016 के पृ0-09/टि0 पर दिनांक-31-05-2017 को प्राप्त है।

विश्वनाथसमन्तान

17/05/2017

(संजय कुमार)

अपर सचिव

क्रमांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-105/2016 - ५०९९ / पटना, दिनांक- १५.६.१९
प्रतिनिधि : गवयित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

अपर सचिव

क्रमांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-105/2016 - ५०९९ / पटना, दिनांक- १५.६.१९
प्रतिनिधि- माननीय मंत्री के आग्र सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं
विकास विभाग/जिला विभाग (आय-व्यय शाखा)/ भंडारण सचिवालय एवं समन्वय
विभाग/समान्य प्रशासन विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी,
श्रीलक्ष्मी/आर्थिक वितीय सहायकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-३, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अपर, श्रीलक्ष्मी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर/बेलसंड
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव